सं. 38/49/2016- पी एंड पी डब्ल्यू (ए)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक 30 नवंबर, 2016

कार्यालय आदेश

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 69 के तहत स्वीकृत अनंतिम (प्रोविजनल) पेंशन में संशोधन।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के अनुसरण में दिनांक 04.08.2016 को, 2016 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों की पेंशन में दिनांक 01.01.2016 से संशोधन के लिए आदेश जारी किए गए हैं।

2. पेंशनभोगियों की निम्नलिखित श्रेणियां, अपने संशोधन-पूर्व वेतन/पेंशन के आधार पर केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 69 के तहत अनंतिम पेंशन आहरित कर रही हैं:-

(i) *दिनांक 1.1.2016 से पूर्व सेवानिवृत्त और विभागीय/न्यायिक कार्यवाहियों या निलंबन के कारण केंद्रीय* सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 69 के तहत स्वीकृत अनंतिम पेंशन।

(ii) दिनांक 1.1.2016 से पूर्व निलंबित और दिनांक 1.1.2016 से पूर्व या उसके उपरांत सेवानिवृत्त होने पर केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 69 के तहत स्वीकृत अनंतिम पेंशन।

3. उपर्युक्त मामलों में स्वीकृत अनंतिम पेंशन का संशोधन, 2016 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन के लिए जारी इस विभाग के दिनांक 04.08.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/2016- पी एंड पी डब्ल्यू (ए) (ii) में निहित निर्देशों के अनुसार सामान्य रूप से किया जाए।

4. यह व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 24.11.2016 के आईडी सं. 1(21)/ई V/ 2016 के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(हरजीत सिंह)
निदेशक

सेवा में

सभी मंत्रालय /विभाग, संलग्न सूची के अनुसार